केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

जलांश

खंड 5 अंक 11 जून -2023

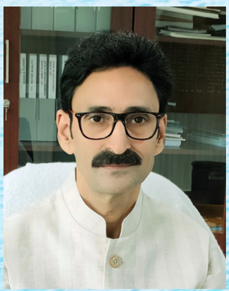

श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

संदेश

मुझे भारत में जल संसाधन प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण विकास और पहलों को साझा करते हुए खुशी हो रही है।

सबसे पहले, मैं ब्रह्मपुत्र बोर्ड की देखरेख करने वाले उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा बोर्ड के गठन पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं। इस बोर्ड में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री और विभिन्न विभागों के सदस्य शामिल हैं। 1982 में स्थापित और 1992 में संशोधित उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा बोर्ड ने 01.05.2023 को गुवाहाटी में अपनी 12वीं बैठक बुलाई। यह बैठक क्षेत्र में जल संबंधी चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी।
09.05.2023 को, मेरे नेतृत्व में केंद्रीय जल आयोग की एक टीम, जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों के साथ सार्थक चर्चा की। इन चर्चाओं का उद्देश्य क्षेत्र में केंद्रीय जल आयोग की पहलों को बढ़ाना, हमारी चल रही गतिविधियों को प्रदर्शित करना और जल संसाधन प्रबंधन में सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशना है। यह देखकर खुशी हुई कि जम्मू-कश्मीर ने केंद्रीय जल आयोग से तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण समर्थन में गहरी रुचि व्यक्त की। परिणामस्वरूप, क्षेत्र में विशिष्ट जल संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक सहयोगी तंत्र स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है।
आगे बढ़ते हुए, 1960 की सिंधु जल संधि के महत्व को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत द्वारा पूर्वी नदियों से लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) का जिम्मेदार उपयोग, और पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी नदियों से 135 एमएएफ से अधिक का आवंटन, क्षेत्र में जल संसाधनों के उचित वितरण को बनाए रखने में इस समझौते के महत्व को रेखांकित करता है। सतलज पर भाखड़ा, रावी पर रंजीत सागर और ब्यास पर पोंग और पंडोह सहित विभिन्न बांधों के माध्यम से भारत द्वारा अपने आवंटित जल संसाधनों का उपयोग, जिम्मेदार जल प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण बना हुआ है।
2012 में केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान में संभावित अतिरिक्त जलप्रवाह की पहचान की गई, जिसके परिणामस्वरूप दूसरी रावी ब्यास लिंक परियोजना पर विचार किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय सिंचाई के लिए इस अधिशेष पानी का उपयोग करना है। यह परियोजना वर्तमान में पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) चरण में है, जिसमें रावी और ब्यास/सतलुज के बीच गुरुत्वाकर्षण-आधारित लिंक की खोज की जा रही है। हमने हाल ही में 16.05.2023 को एक बैठक के दौरान इस परियोजना पर चर्चा की, जो इसके संभावित लाभों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अंत में, मुझे बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के अधिनियमन में एक नए मील के पत्थर की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। "बांधों की भूकंप सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र" की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) और एमएनआईटी जयपुर के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। "बांधों की भूकंप सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र" की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) और एमएनआईटी जयपुर के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह महत्वपूर्ण पहल, जो 22.05.2023 को एमएनआईटी, जयपुर में माननीय जलशक्ति मंत्री की उपस्थिति में हुई, बांध सुरक्षा और भूकंप तैयारियों को बढ़ाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का उदाहरण देती है। मुझे एनडीएसए के अध्यक्ष और एमएनआईटी, एनडीएसए और सीडब्ल्यूसी के अन्य अधिकारियों के साथ इस समारोह में भाग लेने का सौभाग्य मिला।
अंत में, ये विकास जिम्मेदार जल संसाधन प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास और प्रत्येक क्षेत्र की अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों के प्रति हमारे निरंतर समर्पण को दर्शाते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से भारत में अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत जल संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा।

विषयसूची

- ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा बोर्ड की 12वीं बैठक
- केंद्र प्रायोजित योजना 'सिंचाई जनगणना' के तहत 7वीं लघु सिंचाई (एमआई) जनगणना, जल निकायों की दूसरी जनगणना और वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रस्तावित जनगणना के संचालन के लिए संचालन समिति की पहली बैठक
- केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार समूह की तीसरी बैठक
- आई एंड एफसी, जेकेएसपीडीसी, जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत
- डीआरआईपी-II और एनडीएसए
- डीवीसी जलाशयों में गाद की समस्या और उनके संचालन से संबंधित मुद्दे
- मुल्लापेरियार बांध के कोर्ट केस मामले पर चर्चा
- दूसरा रावी-ब्यास लिंक परियोजना
- नोहर फीडर और बरूवाली वितरिकाओं से राजस्थान को पानी की कम उपलब्धता का मुद्दा
- विश्व बैंक टीम के साथ बांध सुरक्षा कार्यक्रम पर चर्चा
- बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अनुपालन में बांधों के निरीक्षण और निर्दिष्ट बांधों के संबंध में डेटा प्रस्तुत करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) और एमएनआईटी जयपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह
- अरूणाचल प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के संबंध में अरूणाचल प्रदेश के माननीय कृषि, बागवानी, पशुचिकित्सा एवं मत्स्यपालन मंत्री श्री टैगेटाकी के साथ चर्चा
- 25वीं आईसीआईडी कांग्रेस के संबंध में आईसीआईडी अधिकारियों के साथ बैठक
- परियोजना के संबंध में बैठक
- बांध घटनाओं/विफलता की स्थितिजन्य रिपोर्ट
- डीआरआईपी चरण II के तहत 'बांध सुरक्षा पहलू- एक सिंहावलोकन' पर अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम
- उत्तर प्रदेश के 40 अधिकारियों को डैम ब्रेक मॉडलिंग पर प्रशिक्षण
- देश में बाढ़ की स्थिति -मई 2023
- जलाशय निगरानी
- इतिहास- ओबरा बांध पर एक खाका

बैठकें

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा बोर्ड की 12वीं बैठक

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 12वीं उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा बोर्ड की बैठक 01.05.2023 को माननीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। बैठक में अध्यक्ष, के.ज.आ. और अन्य अधिकारियों के साथ-साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न सदस्यों और आमंत्रित लोगों ने भाग लिया। बैठक के दौरान नई पहल, सर्वेक्षण और जांच तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और मास्टर प्लान तैयार करने पर चर्चा की गई। ब्रह्मपुत्र आमंत्रण के दस्तावेज़ीकरण के उद्घाटन पर भी चर्चा की गई।

केंद्र प्रायोजित योजना 'सिंचाई गणना' के तहत 7वीं लघु सिंचाई (एमआई) गणना, जल निकायों की दूसरी गणना और वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रस्तावित गणना के संचालन के लिए संचालन समिति की पहली बैठक

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने 03.05.2023 को श्रमशक्ति भवन में सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गगा संरक्षण विभाग. की अध्यक्षता में आयोजित 7वीं लघु सिंचाई (एमआई) गणना, जल निकायों की दूसरी गणना और केंद्र प्रायोजित योजना 'सिंचाई गणना' के तहत प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रस्तावित गणना के संचालन के लिए संचालन समिति की पहली बैठक में भाग लिया।

बैठक के दौरान, अध्यक्ष के.ज.आ. ने सुझाव दिया कि जल निकायों की इष्टतम क्षमता का आकलन करने के लिए जल निकायों की भंडारण क्षमता को तब मापा जा सकता है जब यह अधिकतम स्तर पर हो। यह भी सुझाव दिया गया कि पानी के प्रसार की जानकारी समय के साथ दर्ज की जा सके तो बेहतर होगा। सचिव इस सुझाव पर सहमत हुए कि जल निकायों की दूसरी गणना की अनुसूची में जल प्रसार क्षेत्र को अनिवार्य रखा जा सकता है। प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की गणना के संचालन पर, अध्यक्ष ने बताया कि के.ज.आ. निर्देश पुस्तिका, सारणीबद्ध योजनाएं और अवधारणाएं और परिभाषाएं प्रदान करेगा।

विशेष सचिव (डब्ल्यूआर) ने बताया कि आसानी से समझने योग्य तरीके से आम नागरिक तक गणना के परिणामों के प्रभावी संचार के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) रणनीतियों पर काम किया जा सकता है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में गणना के संचालन के दौरान राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र को भी शामिल किया जा सकता है। निदेशक, एनआईसी ने बताया कि गणना का ग्राम स्तरीय डेटा एक सप्ताह के भीतर ओपनगवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा।

सचिव ने सलाह दी कि जल निकायों की पहली गणना का डेटा गति शक्ति पोर्टल पर भी प्रसारित किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा जा सकता है जिसमें जल निकायों की पहली गणना द्वारा उजागर की गई मुख्य विशेषताओं का जिक्र किया जा सकता है, जिसमें राज्य में जल निकायों के अतिक्रमण को हटाने और निष्क्रिय जल निकायों के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर जोर दिया जा सकता है।

डीडीजी, एमआई (स्टेट) विंग ने बताया कि आगामी गणना में एमआई संरचनाओं की जियो टैगिंग भी की जाएगी और पूरी गणना डिजिटल मोड में की जाएगी। सचिव ने इस बात की सराहना की कि आगामी गणना की योजना पूरी तरह से डिजिटल मोड में बनाई गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विशेष समीक्षा के माध्यम से पिछड़े राज्यों में गणना कार्य को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो राज्य गणना का कार्य समय से पूरा कर सकेंगे उनका परिणाम 02 वर्ष के भीतर सामने आ सकता है।

बैठक के दौरान सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि जल निकायों की इष्टतम क्षमता का आकलन करने के लिए जल निकायों की भंडारण क्षमता को तब लिया जा सकता है जब यह अधिकतम स्तर पर हो। यह भी सुझाव दिया गया कि पानी के फैलाव की जानकारी समय के साथ दर्ज की जा सके तो बेहतर होगा। सचिव इस सुझाव पर सहमत हुए कि जल निकायों की दूसरी गणना की अनुसूची में जल प्रसार क्षेत्र को अनिवार्य रखा जा सकता है। प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की जनगणना के संचालन पर, अध्यक्ष ने बताया कि सीडब्ल्यूसी निर्देश पुस्तिका, सारणीकरण योजनाएं और अवधारणाएं और परिभाषाएं प्रदान करेगा।

विशेष सचिव (डब्ल्यूआर) ने बताया कि आसानी से समझने योग्य तरीके से आम नागरिक तक जनगणना के परिणामों के प्रभावी संचार के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) रणनीतियों पर काम किया जा सकता है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जनगणना के संचालन के दौरान राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र को भी शामिल किया जा सकता है। निदेशक, एनआईसी ने बताया कि जनगणना का ग्राम स्तरीय डेटा एक सप्ताह के भीतर ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा।

सचिव ने सलाह दी कि जल निकायों की पहली जनगणना का डेटा गति शक्ति पोर्टल पर भी प्रसारित किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा जा सकता है जिसमें जल निकायों की पहली जनगणना द्वारा उजागर की गई मुख्य विशेषताओं का जिक्र किया जा सकता है, जिसमें राज्य में जल निकायों के अतिक्रमण को हटाने और निष्क्रिय जल निकायों के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर जोर दिया जा सकता है।

डीडीजी, एमआई (स्टेट) विंग ने बताया कि आगामी जनगणना में एमआई संरचनाओं की जियो टैगिंग भी की जाएगी और पूरी जनगणना डिजिटल मोड में की जाएगी। सचिव ने इस बात की सराहना की कि आगामी जनगणना की योजना पूरी तरह से डिजिटल मोड में बनाई गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विशेष समीक्षा के माध्यम से पिछड़े राज्यों में जनगणना कार्य को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो राज्य जनगणना का कार्य समय से पूरा कर सकेंगे उनका परिणाम 02 वर्ष के भीतर सामने आ सकता है।

केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार समूह की तीसरी बैठक

श्री गोवर्धन प्रसाद, निदेशक, जलविज्ञान (सी) ने 04.05.2023 को सेवा भवन में श्री डी.पी.भार्गव, पूर्व निदेशक, (तकनीकी), एनएचपीसी की अध्यक्षता में आयोजित केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (टीएजी-केबीएलपीए) के तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक में भाग लिया। बैठक में टीएजी की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर प्रस्तावित दौधन बांध के टेंडर दस्तावेजों में संशोधन पर चर्चा की गई

आई एंड एफसी, जेकेएसपीडीसी, जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत

के.ज.आ के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने के.ज.आ के अधिकारियों की टीम के साथ 09.05.2023 को श्रीनगर में आई एंड एफसी, जेकेएसपीडीसी, जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की। चर्चा जम्मू-कश्मीर में के.ज.आ की मौजूदा गतिविधियों को मजबूत करने के साथ-साथ जल संसाधनों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में नए क्षेत्रों की संभावना तलाशने पर केंद्रित थी।

के.ज.आ. ने जम्मू-कश्मीर में के.ज.आ. द्वारा की जा रही गतिविधियों की एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी, जैसे कि जम्मू-कश्मीर में के.ज.आ. की संस्थागत स्थापना, जल-मौसम संबंधी अवलोकन और बाढ़ पूर्वानुमान, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी, पीएमकेएसवाई-सीएडीडब्ल्यूएम और एफएमबीएपी परियोजनाओं की निगरानी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का मूल्यांकन, बांध सुरक्षा और डिजाइन समर्थन, सर्वेक्षण एवं जांच और विभिन्न परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने जैसी गतिविधियां। बगलिहार एचईपी के प्री-मानसून निरीक्षण करने के बारे में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को भी जागरूक किया गया था। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने नए क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी, जिनमें के.ज.आ. ने हाल ही में कदम रखा है, जैसे कि विस्तारित हाइड्रोलॉजिकल भविष्यवाणी, जलाशयों का एकीकृत संचालन, बाढ़ मानचित्रण आदि।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने दोनों क्षेत्रों यानी जम्मू-कश्मीर में उनके द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों को प्रस्तुत किया। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी और अन्य स्रोतों के तहत वृहत, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई विकास की स्थिति, सीमा क्षेत्र की नदी प्रबंधन गतिविधियों (आरएमएबीए) सहित एफएमबीएपी के तहत बाढ़ सुरक्षा कार्य, सिंचाई के लिए पानी की समग्र आवश्यकता और पानी की उपलब्धता आदि पर चर्चा की गई।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने के.ज.आ से के.ज.आ और सरकार के बीच तकनीकी सहयोग स्थापित करके केंद्रशासित प्रदेश को विशेष रूप से

जल विज्ञान, बाढ़ पूर्वानुमान, डिजाइन, राजस्थान सरकार के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के क्षेत्र में, निर्मित सिंचाई क्षमता और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को पूरा करने के उपायों की पहचान करना, जेटीआरएफपी द्वारा किए जा रहे अध्ययनों में सहायता और अन्य तकनीकी पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष, के.ज.आ ने उल्लेख किया कि के.ज.आ और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच नियमित बातचीत के माध्यम से मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने के लिए सुझाए गए सहयोगी तंत्र के निर्माण की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जम्मू-कश्मीर से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, के.ज.आ के पास जिन क्षेत्रों में विशेषज्ञता है, उनमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को मार्गदर्शन प्रदान करना, और जम्मू एवं कश्मीर द्वारा बताई गई चिंताओं के विशिष्ट क्षेत्रों पर संयुक्त रूप से काम किया जाएगा।

डीआरआईपी-II और एनडीएसए

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. ने सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर की अध्यक्षता में 09.05.2023 को श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी), चरण- II और बांध सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक में भाग लिया। बैठक में मंत्रालय, के.ज.आ. और विश्व बैंक के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

बैठक में चर्चा किए गए प्रासंगिक बिंदुओं में शामिल हैं: सभी निर्दिष्ट बांधों के राष्ट्रीय स्तर के डेटा बेस के निर्माण की प्रगति, बांधों के भूकंपीय सुरक्षा मूल्यांकन केंद्र की स्थापना के लिए एमएनआईटी जयपुर के प्रस्ताव की स्थिति, डीएसए, 2021 के अनुसार बांध सुरक्षा विनियमों की तैयारी, एनसीडीएस की उप-समितियों का गठन, एनडीएसए के लिए सदस्यों के 5 पदों का सृजन, बांधों के निरीक्षण की स्थिति (2023 का मानसून-पूर्व निरीक्षण) और निरीक्षण का एक वार्षिक चक्र के पूरा होने के बाद बांधों की श्रेणियों जिसके लिए एनडीएसए बांध सुरक्षा संगठन (डीएसओ)के रूप में कार्य कर रहा है और अन्य राज्य के स्वामित्व वाले बांधों लिए के अनुवर्ती कार्रवाई, गैर-निर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा, धर्मा पोर्टल का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की दूसरी बैठक, ईएंडएम डीआरआईपी- II योजना से संबंधित मुद्दे सहित सलाहकार प्रापण की स्थिति, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना; राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों की क्षमता निर्माण।

इसके अलावा 12.05.2023 को, उन्होंने आभासी मंच पर 11 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश (100 से अधिक निर्दिष्ट बांधों वाले) के एसडीएसओ के साथ बैठक की। बैठक में एनडीएसए के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, सदस्य (तकनीकी), सदस्य (विनियम) और सदस्य (आपदा और लचीलापन) भी शामिल हुए। यह बैठक बांध सुरक्षा अधिनियम (डीएसए), 2021 के तहत विभिन्न मुद्दों पर स्थिति/प्रगति का आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी, जैसा कि 11.04.2023 को आयोजित बैठक के दौरान चर्चा की गई थी।

डीवीसी जलाशयों में गाद की समस्या और उनके संचालन से संबंधित मुद्दे

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (17.12.2022 को कोलकाता में आयोजित) की 25वीं बैठक में उठाए गए "डीवीसी जलाशयों में गाद की समस्या और उनके संचालन" से संबंधित मुद्दे के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में 12.05.2023 को नॉर्थ ब्लॉक में बैठक में भाग लिया।

मुल्लापेरियार बांध के कोर्ट केस मामले पर चर्चा

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुल्लापेरियार बांध के अदालती मामले पर चर्चा के लिए सचिव जल संसाधन,नदी विकास एवं गगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में 16.05.2023 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. और अध्यक्ष, एनडीएसए, श्री विजयसरन, मुख्य अभियंता (डीएसओ), के.ज.आ, अध्यक्ष, मुल्लापेरियार बांध पर्यवेक्षी समिति तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गगा संरक्षण विभाग और के.ज.आ. के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

दूसरी रावी-ब्यास लिंक परियोजना

भारत सरकार ने लोगों के लाभ के लिए चिन्हित राष्ट्रीय परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने की दृष्टि से ग्यारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं की एक योजना को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परियोजनाओं को सिंचाई और पेयजल घटक की लागत के लिए केंद्रीय अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

दूसरी रावी ब्यास लिंक परियोजना पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) चरण में है। रावी और ब्यास/सतलुज के बीच लिंक द्वारा गुरुत्वाकर्षण के कारण गैर-मानसूनी अवधि में सीमा पार बहने वाले पानी (लगभग 0.58 एमएएफ)को नियंत्रित करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा रहा है।

अध्यक्ष, के.ज.आ. और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 16.03.2023 को हुई पिछली बैठक के दौरान चर्चा किए गए विभिन्न विकल्पों पर दूसरी रवि ब्यास लिंक परियोजना की पूर्व-

व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) की प्रगति पर चर्चा करने के लिए 16.05.2023 को के.ज.आ.(मुख्यालय), नई दिल्ली में एक और बैठक ली।

बैठक में सदस्य, (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ, जल संसाधन विभाग, पंजाब सरकार (जीओपी) के अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग और अन्य संबंधित संगठनों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, जल संसाधन विभाग, पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधित पीएफआर पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक के दौरान, के.ज.आ.के अध्यक्ष ने पीएफआर में किए जाने वाले विभिन्न बदलावों के बारे में बताया और डब्ल्यूआरडी, पंजाब सरकार के अधिकारियों को पीने के पानी और भूजल पुनर्भरण के कुओं की गैर-स्वीकार्य लागत को छोड़कर एक सप्ताह के भीतर संशोधित पीएफआर जमा करने का निर्देश दिया तथा पीएफआर में उल्लिखित सभी विभिन्न विकल्पों जैसे भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर, लाभ आदि सहित संक्षिप्त विवरण प्रदान करने को कहा।

नोहर फीडर और बरूवाली वितरिकाओं से राजस्थान को पानी की कम उपलब्धता का मुद्दा

नोहर फीडर और बरूवाली वितरिकाओं से राजस्थान को पानी की कम उपलब्धता के मुद्दे के संबंध में 15.03.2023 को आयोजित पिछली बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और पदेन सचिव, भारत सरकार ने 17.05.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस/ वर्चुअल मोड के माध्यम से राजस्थान और हरियाणा राज्यों और बीबीएमबी के जल संसाधन/सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की।

बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये:

- जल संसाधन विभाग, राजस्थान व सिंचाई और जल संसाधन विभाग, हरियाणा के साथ परामर्श करके पीएफआर को अंतिम रूप देगा और इसे के.ज.आ. के साथ साझा करेगा। डीपीआर लेने की तैयारी साथ-साथ जारी रखी जाएगी।
- चल रही डिस्चार्ज माप प्रक्रिया जारी रहेगी।

बीबीएमबी अब तक लिए गए माप के परिणामों के आलोक में गेज-डिस्चार्ज टेबल के सुधार की प्रक्रिया शुरू करेगा।

बीबीएमबी अब तक लिए गए माप के परिणामों के आलोक में गेज-डिस्चार्ज टेबल के सुधार की प्रक्रिया शुरू करेगा।

बीबीएमबी पंजाब सरकार को जारी डिस्चार्ज माप के मुद्दे और निष्कर्षों के बारे में सूचित करेगा।

विश्व बैंक टीम के साथ बांध सुरक्षा कार्यक्रम पर चर्चा

17 मई 2023 और 26 मई 2023 को विश्व बैंक टीम के साथ श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) के.ज.आ. और अध्यक्ष एनडीएसए की अध्यक्षता में एक बैठक सह चर्चा आयोजित की गई। बैठक के दौरान बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 के विभिन्न प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 की धारा 54(2) के अनुसार तैयार किए गए सात मसौदा नियमों पर चर्चा की गई।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अनुपालन में बांधों के निरीक्षण और निर्दिष्ट बांधों के संबंध में डेटा प्रस्तुत करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. ने चयनित राज्यों नामत: गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बांधों के निरीक्षण के संबंध में और बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अनुपालन में निर्दिष्ट बांधों के डेटा प्रस्तुत करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में 18.05.2023 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में एक बैठक में भाग लिया।

बैठक में चर्चा के एजेंडा बिंदु इस प्रकार हैं:-

1. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अनुपालन में सभी निर्दिष्ट बांधों का मानसून पूर्व निरीक्षण।
2. सभी निर्दिष्ट बांधों का राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस बनाने के लिए निर्दिष्ट बांधों के संबंध में डेटा प्रस्तुत करने की स्थिति।
3. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य मुद्दे

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) और एमएनआईटी जयपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह

"बांधों की भूकंप से सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय भूकंप केंद्र की स्थापना" के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) और एमएनआईटी जयपुर के बीच 22.05.2023 को एमएनआईटी, जयपुर में माननीय जल शक्ति मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया है।

श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और पदेन सचिव, भारत सरकार और अध्यक्ष एनडीएसए के साथ-साथ एमएनआईटी, एनडीएसए और के.ज.आ के अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया।

अपने संबोधन में, श्री कुशविंदर वोहरा ने उल्लेख किया कि 2021 के बांध सुरक्षा अधिनियम के अधिनियमन ने बड़े बांधों के रखरखाव के लिए देश में एक कानूनी ढांचा स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले आईआईटी रूड़की में सीओई की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें आईआईटी रूढ़की जलाशय अवसादन प्रबंधन, निर्माण सामग्री परीक्षण, हाइड्रोलिक्स और बांधों के भूकंपीय विश्लेषण के क्षेत्र में काम करेगा। वहां उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईएससी, बेंगलुरु और एनआईटी जैसे अन्य संस्थानों के साथ विचार-विमर्श जारी है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से दो संस्थानों आईआईटी रूड़की और आईआईएससी बैंगलोर में बांध सुरक्षा पर एम.टेक कार्यक्रम शुरू किया गया है। अध्यक्ष, के.ज.आ ने उक्त एम.टेक कार्यक्रम के लिए छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया।

एमएनआईटी, जयपुर के साथ समझौता ज्ञापन के तहत, 30.00 करोड़ रुपये (तीस करोड़ रुपये) का गैर-आवर्ती अनुदान पांच किश्तों में प्रदान किया जाएगा। एमओयू हस्ताक्षर करने की तारीख से पांच साल के लिए वैध होगा; और उसके बाद पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है। उत्कृष्टता केंद्र मुख्य रूप से बांधों की भूकंप सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। परिकल्पित उत्कृष्टता केंद्र संस्थागत क्षमता निर्माण, क्षमता विकास, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, मानक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा।

अरूणाचल प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के संबंध में अरूणाचल प्रदेश के माननीय कृषि, बागवानी, पशुचिकित्सक एवं मत्स्यपालन मंत्री श्री टैगेटाकी के साथ चर्चा

के.ज.आ अधिकारियों द्वारा 23.05.2023 को अरुणाचल प्रदेश के माननीय कृषि, बागवानी, पशुचिकित्सा और मत्स्य पालन मंत्री श्री टैगेटाकी के साथ एक चर्चा आयोजित की गई थी। इस चर्चा में अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन योजनाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। अरुणाचल प्रदेश की बाढ़ प्रबंधन योजना के मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।

25वीं आईसीआईडी कांग्रेस के संबंध में आईसीआईडी अधिकारियों के साथ बैठक

25वीं कांग्रेस और आईसीआईडी की 74वीं आईईसी के लिए आयोजन समिति की एक बैठक 23.05.2023 को के.ज.आ/ आईएनसीआईडी के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में के.ज.आ, आईएनसीआईडी, आईसीआईडी, एनडब्ल्यूडीए डब्ल्यूएपीसीओएस और आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। समिति ने आयोजन स्थल को अंतिम रूप देने, कार्यक्रम, आयोजन के लिए समितियों, प्रदर्शनी, प्रायोजन व्यवस्था, भुगतान गेटवे आदि से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

परियोजना के संबंध में बैठक

रेणुकाजी बांध परियोजना

रेणुकाजी बांध स्थल पर भूवैज्ञानिक/भू-तकनीकी/ भूभौतिकी जांच कार्य और रेणुकाजी बांध परियोजना से संबंधित अध्ययन की प्रगति की समीक्षा के लिए 12.05.2023 को वर्चुअल मोड के माध्यम से श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ की अध्यक्षता में के.ज.आ, जीएसआई, एचपीपीसीएल के अधिकारियों और रेणुकाजी बांध परियोजना के भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के पैनल के सदस्यों के बीच बैठक आयोजित की गई थी।

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ की अध्यक्षता में 11.05.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से के.ज.आ, सीएसएमआरएस और यूजेवीएनएल के अधिकारियों और जीजीई (भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के समूह) के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में लखवार बांध स्थल पर भूवैज्ञानिक/ भूभौतिकीय जांच कार्यों की प्रगति और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित अध्ययनों की समीक्षा की गई।

रैटले एचई परियोजना

अध्यक्ष, के.ज.आ की अध्यक्षता में श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ ने 23.05.2023 को आयोजित "रैटले एचई प्रोजेक्ट (जम्मू एंड कश्मीर) के जलाशय अवसादन के लिए 2डी और 3डी संख्यात्मक हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन" की निगरानी के लिए परामर्श निगरानी समिति की दूसरी बैठक में भाग लिया।

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना

किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना डीपीआर चरण में है। किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना को फरवरी 2008 में एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में पहचाना गया है। यह परियोजना उत्तराखंड के देहरादून जिले और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में टोंस नदी (यमुना नदी की सहायक नदी) पर स्थित एक भंडारण योजना है। इस परियोजना में 1324 एमसीएम की भंडारण क्षमता के साथ 236 मीटर ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना 0.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई लाभ प्रदान करती है। यह परियोजना पीने/औद्योगिक प्रयोजन के लिए 617 एमसीएम पानी भी उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना से 660 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी।

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड/हिमाचल प्रदेश के बिजली घटकों के वित्त पोषण के मुद्दे सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के लिए सचिव डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर की अध्यक्षता में 31.05.2023 को उनके कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में के.ज.आ के अध्यक्ष के साथ-साथ डी ओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) और केंद्रीय जल आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान, किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सदस्य सचिव, यूवाईआरबी द्वारा एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई।

बांध घटनाओं/विफलता की स्थितिजन्य रिपोर्ट

के.ज.आ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई बांध घटना/ विफलता पर द्वि-साप्ताहिक स्थितिजन्य रिपोर्ट संकलित की जा रही है और माननीय जल शक्ति मंत्री के कार्यालय को प्रस्तुत की जा रही है।

मई 2023 के महीने में, के.ज.आ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा देश के किसी भी बांध को नुकसान पहुंचाने से संबंधित कोई घटना दर्ज नहीं की गई।

प्रशिक्षण /कार्यशाला /प्रस्तुतिया

डीआरआईपी चरण II के तहत 'बांध सुरक्षा पहलू-एक सिंहावलोकन' पर अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम

डीआरआईपी-2 के तहत क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में, गुजरात डब्ल्यूआरडी के अधिकारियों के लिए 'बांध सुरक्षा पहलू-एक अवलोकन' पर अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम 17-26 मई 2023 के दौरान एनडब्ल्यूए पुणे में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में गुजरात डब्ल्यूआरडी के लगभग 25 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन एनडब्ल्यूए के मुख्य अभियंता श्री डी.एस.चास्कर ने किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में बांध सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर संरचित कक्षा व्याख्यान शामिल थे जैसे बांध सुरक्षा अधिनियम और डीआरआईपी का अवलोकन, बांध उपकरण, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम वर्गीकरण से संबंधित पहलू; बांध सुरक्षा निरीक्षण और जांच प्रोटोकॉल; डिज़ाइन बाढ़ समीक्षा; जलाशय अवसादन; बांध टूटने का विश्लेषण और सैलाब मानचित्रण; आपातकालीन कार्य योजना; बांधों का संचालन और रखरखाव; बांध सुरक्षा मुद्दे और उपचारात्मक उपाय, एच-एम पुनर्वास आदि।

पाठ्यक्रम संरचना में बांध पुनर्वास कार्यों के संबंध में डीआरआईपी-1 के तहत लागू की गई अच्छी प्रथाओं के बारे में प्रतिभागियों को दिखाने के लिए विभिन्न केस अध्ययन शामिल थे। व्याख्यान के.ज.आ के

अधिकारियों के साथ-साथ सीएसएमआरएस, सीडब्ल्यूपीआरएस, एनजीआरआई, एनआईआरएम, विभिन्न राज्य सरकार के अधिकारियों और निजी एजेंसियों जैसे प्लेनीज़, एनकार्डियोराइट और पार्सन्स लिमिटेड आदि द्वारा दिए गए थे।

अधिकारियों को क्षेत्रीय दौरे के लिए टेमघर बांध, महाराष्ट्र ले जाया गया और सुरक्षा निरीक्षण प्रारूप भरने के संबंध में दौरा स्थल पर ही जानकारी दी गई। कार्यक्रम को सामग्री विस्तार और विषयों की विविधता के मामले में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।

उत्तर प्रदेश के 40 अधिकारियों को डैमब्रेक मॉडलिंग पर प्रशिक्षण

श्री अंकित कुमार, उप निदेशक, एफई एंड एसए निदेशालय ने 17 से 19 मई, 2023 तक लखनऊ, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के 40 अधिकारियों को डैम ब्रेक मॉडलिंग और जलाशय रूटिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया।

के ज आ अधिकारियों द्वारा स्थल का दौरा/परियोजना के निरीक्षण

घुंघशी बैराज (मध्यम) सिंचाई परियोजना

घुंघशी बैराज (मध्यम) सिंचाई परियोजना का निर्माण महाराष्ट्र के अकोला जिले में तापी नदी की सहायक नदी पूर्णा पर किया गया है। इस परियोजना को 2017-18 के दौरान "विदर्भ और मराठवाड़ा तथा शेष महाराष्ट्र के अन्य भयंकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल संकट से निपटने हेतु “सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने" के लिए विशेष पैकेज के तहत शामिल किया गया है। इस परियोजना की योजना 6343 हेक्टेयर आईसीए (6660 हेक्टेयर यूआईपी) क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करने के लिए बनाई गई है। परियोजना के लिए 22.808 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

श्री करण रघुवंशी, उप-निदेशक, प्रबोधन मध्य संगठन, के.ज.आ, नागपुर ने महाराष्ट्र योजना के लिए विशेष पैकेज के तहत शामिल परियोजना घटकों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए 08.05.2023 को परियोजना का दौरा किया। दौरे के दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारी साथ थे।

अन्य गतिविधियाँ

31.05.2023 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्टत: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान (2023-24)	व्यय	व्यय (%में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	162.130	15.0796	9.30%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	20.000	1.209	0.60%
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	20.310	1.8662	9.19%
4	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	11.000	0.00	0.00%
5	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	31.58	0.00	0.00%

देश में बाढ़ की स्थिति -मई 2023

ब्रह्मपुत्र और बराक और झेलम बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2023 को शुरू हुई। 1 मई से 31 मई 2023 की अवधि के दौरान, 11 स्तरीय बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए, और सभी पूर्वानुमान 100% सटीकता की सीमा के भीतर थे। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से 31 मई 2023 तक कोई रेड बुलेटिन (अत्यधिक बाढ़ की स्थिति के लिए) और ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी नहीं किया गया था।

01.05.2023 से 31.05.2023 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

भीषण बाढ़ की स्थिति

किसी भी एफएफ स्टेशन ने अत्यधिक बाढ़ की स्थिति नहीं देखी।

किसी भी बाढ़ निगरानी स्टेशन ने अत्यधिक बाढ़ की स्थिति नहीं देखी।

बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों में चरम बाढ़ की स्थिति

किसी भी बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन पर गंभीर बाढ़ की स्थिति नहीं देखी गई।

बाढ़ की स्थिति सामान्य से ऊपर

असम और जम्मू-कश्मीर में 3 एफएफ स्टेशनों पर बाढ़ की स्थिति सामान्य से ऊपर देखी गई।

जलाशय निगरानी

केंद्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश के 146 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 18 जलाशय पनबिजली परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 34.960 बीसीएम है। इन 146 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 178.185 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित भंडारण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 69.11% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 25.05.2023के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल भंडारण 54.577 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 31% है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 57.221 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहण 44.343 बीसीएम था। इस प्रकार, दिनांक 25.05.2023के बुलेटिन के अनुसार 146 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के संग्रहण का 95% और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 123% है।

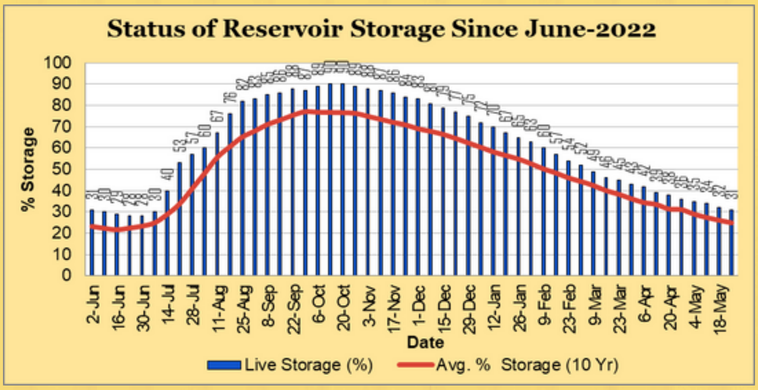

सीमा से अधिक प्रवाह प्राप्त करने वाले जलाशय

किसी भी जलाशय में उनकी सीमा से अधिक जल प्रवाह प्राप्त नहीं हुआ।

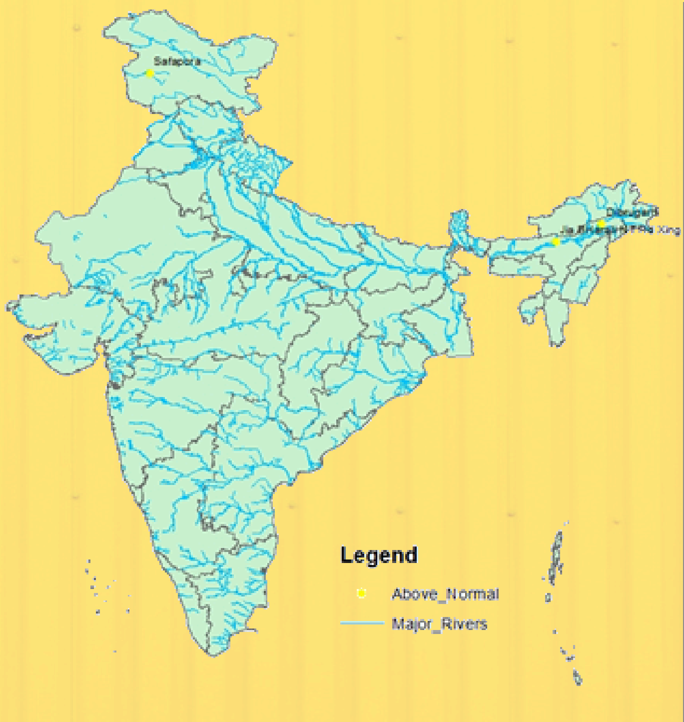

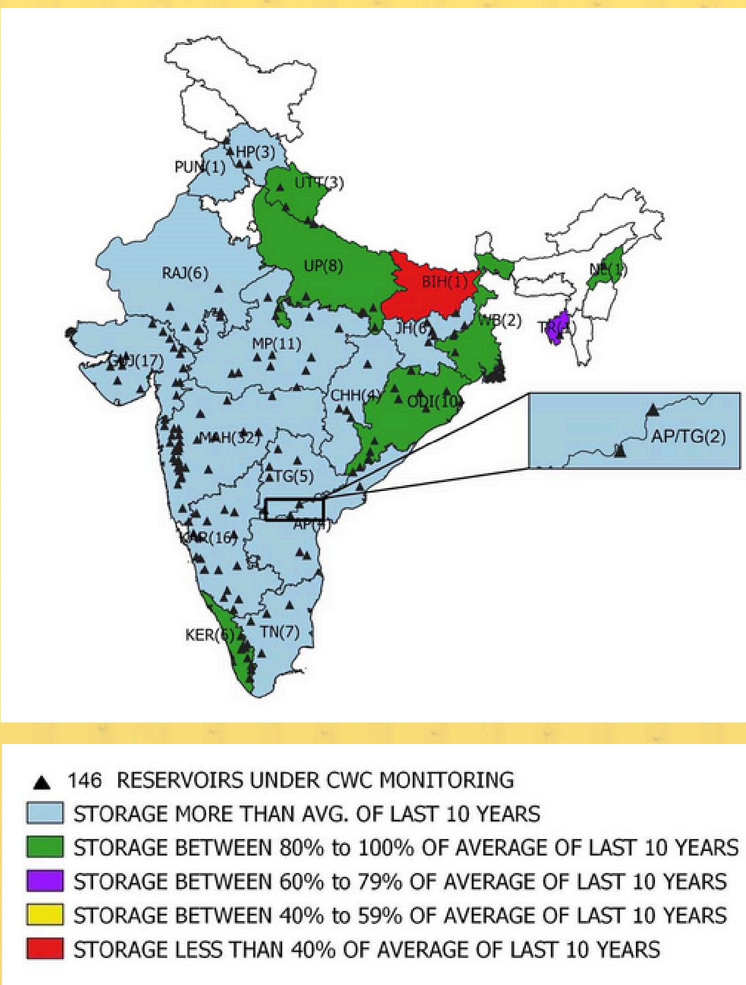

Map Indicating State-wise Storage Position as on 25.05.2023

जल क्षेत्र-समाचार

- अब भी महादयी जल का इंतजार, किसान संगठन चुनावी मैदान में उतरा (द इंडियन एक्सप्रेस, 02.05.2023)
- दरारें आने के नौ महीने बाद भी करम बांध की मरम्मत का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है (टाइम्स ऑफ इंडिया, 08.05.2023)
- केंद्रीय टीमें जल संकट वाले 150 जिलों में जल स्रोतों का निरीक्षण करेंगी (मिलेनियम पोस्ट, 09.05.2023)
- भारत, इजराइल मजबूत जल, कृषि और रक्षा संबंधों पर नजर रखते हैं (द टाइम्स ऑफ इंडिया, 10.05.2023)
- अध्ययन में कहा गया है कि जल लचीलेपन में सुधार के लिए जल निकायों का कायाकल्प महत्वपूर्ण है (द हिंदू, 12.05.2023)
- अब तक 12 करोड़ ग्रामीण नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए: सरकारी डेटा (मिलेनियम पोस्ट, 17.05.2023)
- सिंधु जल संधि: केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को 'बेहतर उपयोग' के लिए प्रयास बढ़ाने की सलाह दी (द हिंदू, 27.05.2023)
- 135 हर घर जल प्रमाणित जिलों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में श्रीनगर देश में शीर्ष स्थान पर है (कश्मीर आयु, 28.05.2023)
- जलवायु संकट न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण, विकासात्मक भी (हिन्दुस्तान टाइम्स, 29.05.2023)
- फर्राका बैराज पर नदी कटाव पर संयुक्त सर्वेक्षण किया जाएगा (द हिंदू, 30.05.2023)

गैलरी

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरदार सरोवर डैम के कमांड एरिया में जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए अंडर ग्राउंड पाइप लाइन के लाभों पर Water User Associations के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम दिनांक 27.04.2023 को MTBO, CWC गांधीनगर तथा सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड एवं अनार्दे फाउन्डेशन के सहयोग से चानश्मा जिला पाटन, गुजरात में संपन्न हुआ |

लखनऊ में के.ज.आ, जीआईजेड टीम, एसएमसीजी और सीजीडब्ल्यूबी के बीच राम गंगा बेसिन योजना के संबंध में चर्चा हुई।

माही एवं तापी बेसिन संगठन केन्द्रीय जल आयोग गांधीनगर में तीन दिवसीय "जल विज्ञानीय प्रेक्षण तथा केन्द्रीय जल आयोग में उपयोग होने वाले मापन यंत्रों एवं उनके रखरखाव पर प्रशिक्षण कार्यक्रम"

सुश्री देबाश्री मुखर्जी, विशेष सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, एमओजेएस ने 22.05.2023 को राष्ट्रीय जल अकादमी, केंद्रीय जल आयोग का दौरा किया और एनडब्ल्यूए की गतिविधियों की समीक्षा की, इसके बाद सीडब्ल्यूईएस ग्रुप- ए परिवीक्षाधीन अधिकारियों के साथ बातचीत की, जो वर्तमान में अपने प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहें।

जल संसाधन क्षेत्र में केंद्र सरकार के विभागों और राजस्थान राज्य सरकार के विभागों के बीच पहली त्रैमासिक वार्ता 30 मई 2023 को जयपुर में सीजीडब्ल्यूबी, जयपुर के साथ संयुक्त रूप से हुई, जिसमें सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जल निकायों के आरआरआर और राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन अध्ययन पर चर्चा की गई।

इतिहास-ओबरा बांध पर एक खाका

रिहंद पावर हाउस से पूरी बिजली पहले ही विभिन्न बड़े और छोटे उद्योगों और रेलवे के विद्युतीकरण के लिए बुक की जा चुकी है, लेकिन अभी भी बिजली की भारी मांग है। इसे पूरा करने के लिए, इंजीनियर अधिक बिजली उत्पादन के लिए रिहंद टरबाइनों से निरंतर टेलरेस पानी का उपयोग करने के लिए रिहंद के बहाव क्षेत्र में एक बांध हेतु नदी पर एक और उपयुक्त स्थल की तलाश में थे। प्रारंभिक जांच और सर्वेक्षण के बाद, 1959 के दौरान ओबरा गांव के पास एक उपयुक्त स्थल की खोज की गई जहां पिक-अप बांध का निर्माण शुरू किया गया है।

स्थान

रिहंद नदी, रिहंद बांध से 32 किमी (20 मील) नीचे की ओर और सोन नदी के संगम से 11 किमी (7 मील) ऊपर एक संकीर्ण घाटी से होकर गुजरती है। इस घाटी में 2.4 किमी (डेढ़ मील) लंबाई के भीतर तीन स्थल उपस्थित हैं। ऊपरी दो स्थानों पर खड़े उभरे हुए तटबंध हैं और कंक्रीट या चिनाई या दोनों से बने बांध के लिए उपयुक्त हैं। स्पिलवे के लिए उनके किनारों पर कोई काठी नहीं है। चिनाई या कंक्रीट बांध का निर्माण बहुत महंगा होगा, क्योंकि नींव की चट्टान पर 30 मीटर (100ft) रेत पड़ी है। तीसरी साइट, जिसे चुना गया है, में तुलनात्मक रूप से चौड़ी घाटी है, लेकिन इसके अपने दाहिने किनारे पर एक अतिप्रवाह स्पिलवे के लिए जगह है। यहीं ओबरा बांध बनेगा। यह साइट, फ्रांस के मृदा यांत्रिकी के विशेषज्ञ डॉ. आर्मंड मेयर द्वारा भी अनुमोदित है, प्रस्तावित पृथ्वी और रॉकफिल बांध के लिए सभी सामग्रियों और सुविधाओं का प्रबंधन करती है।

बिजली के लिए पानी

रिहंद बांध में जल भंडारण के कारण ओबरा नदी का जल विज्ञान व्यावहारिक रूप से ज्ञात और नियंत्रित है। इन दोनों बांधों के बीच जलग्रहण क्षेत्र केवल 546 वर्ग किमी (211 वर्ग मील) है। रिहंद स्पिलवे को प्रति सेकंड 13,336 घनमीटर (471,000 घनफीट) अधिकतम बाढ़ पारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह भी पता लगाया गया है कि भले ही मध्यवर्ती जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हो, फिर भी प्रति सेकंड 18,972 वर्ग मीटर (670,000 घनफीट) की कुल बाढ़ को ओबरा स्पिलवे के माध्यम से सुरक्षित रूप से पारित किया जा सकता है।

विद्युत दोहन

ओबरा पावर हाउस स्वाभाविक रूप से रिहंद पावर हाउस के साथ-साथ चलेगा। इस तरह के समन्वय से दो सयंत्रों से लाभ मिलता है। रिहंद स्टेशन से अनुमानित निरंतर बिजली उत्पादन 105,000 किलोवाट और ओबरा स्टेशन से 33,000 किलोवाट है। 1902 से 1960 के वर्षों में पानी की उपलब्धता के आंकड़ों के आधार पर, दोनों बिजली स्टेशन मिलकर 138,000 किलोवाट निरंतर बिजली का उत्पादन करने में सक्षम थे, सूखे के दौरान को छोड़कर जब इसमें 50,000 किलोवाट की कटौती हो सकती थी।

परियोजना की विशेषताएं

ओबरा परियोजना में नदी तल से 29 मीटर (95.5 फीट) ऊंचे और इसके शिखर पर 422 मीटर (1,386 फीट) लंबे एक मृदा और रॉकफिल बांध की परिकल्पना की गई है। यह मिट्टी के कोर से बना होगा जिसके दोनों तरफ 2.4 मीटर (8 फीट) दोहरे निस्यंदक होंगे। बाएं किनारे पर 185 मीटर (608 फीट) लंबा एक बांध बनेगा। प्रतिप्रवाह में जलाशय से रिसाव को 244 मीटर (800 फीट) मिट्टी के अभेद्य आवरण द्वारा जांचा जाएगा।आवरण के अंत में, बांध रेखा के साथ, चादरी स्थूण को दो पंक्तियों में तल की चट्टान तक ले जाया जाएगा। उनके बीच की रेत को मिट्टी या सीमेंट के घोल से अभिपूरित/ग्राउट किया जाएगा।

दाहिने किनारे पर 12 मीटर (40 फीट) की 11 खाड़ियों वाला एक कंक्रीट स्पिलवे बनाया जाएगा। यह बांध से उपरिप्लाव बिना प्रति सेकंड 18,972 घन मीटर (6.7 लाख घन फीट) तक जल प्रवाहित कर सकता है।

बांध और स्पिलवे में चोपन को सिंगरौली कोयला क्षेत्रों से जोड़ने वाला 6 मीटर (20 फीट) चौड़ा सड़क मार्ग होगा।

स्पिलवे के दाहिनी ओर 583 घन मीटर (20,600 घन फुट) प्रति सेकंड की क्षमता वाला लगभग 192 मीटर (630 फीट) लंबा एक विद्युत चैनल पानी को नीचे विद्युतघर तक ले जाएगा।

विद्युत चैनल के अंत में 33,000 किलोवाट की तीन उत्पादन इकाइयों वाला एक विद्युतघर बनाया जाएगा। कपालन टाइप टर्बाइनों को विद्युत चैनल के अंत में चिनाई बांध से निकलने वाले 8 मीटर (26 फीट) व्यास के पेनस्टॉक्स द्वारा भरा जाएगा।

विद्युत पारेषण

यह परियोजना 17 किमी (23 मील) की दूरी पर ओबरा विद्युत घर से रॉबर्ट्स गंज उप-केन्द्र तक 132 केवी दोहरे-परिपथ पारगमन लाइनों(डबल-सर्किट ट्रांसमिशन लाइनों) द्वारा रिहंद ग्रिड से जुड़ी होगी।

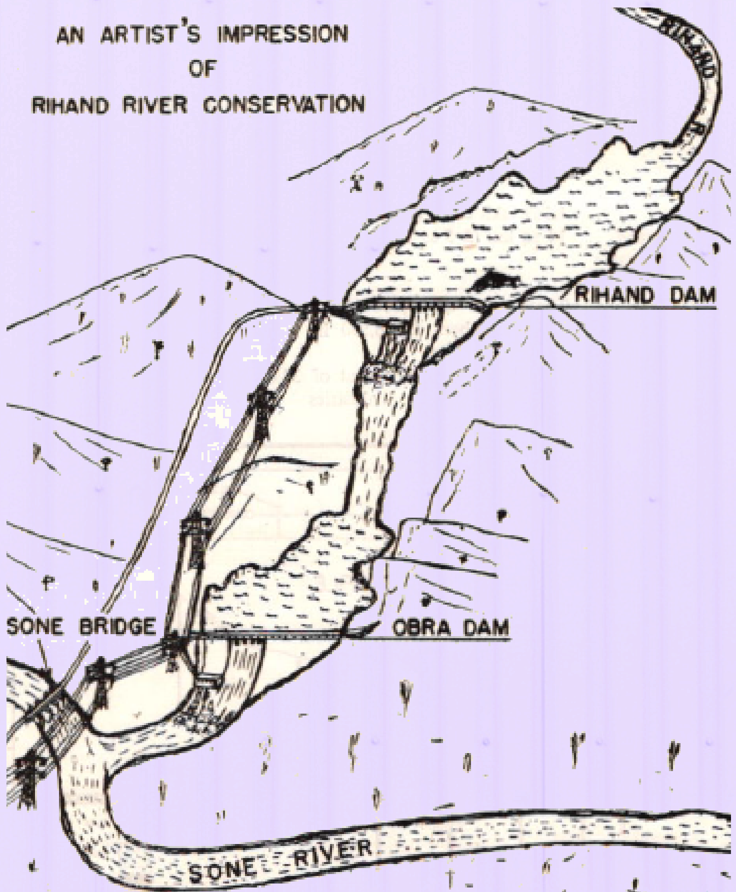

सामग्री

बांध स्थल के नजदीक अच्छी अभेद्य मिट्टी उपलब्ध है। स्पिलवे और विद्युत चैनल की खुदाई से प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर बांध में रॉकफिल के साथ-साथ चिनाई और कंक्रीट के काम आएगा।

जलमग्नता

ओबरा में सामान्य जलाशय स्तर रिहंद पावर स्टेशन के अंतिम जल स्तर के साथ गिर जाएगा ताकि ओबरा रिहंद से बिजली उत्पादन को प्रभावित न करे। ओबरा जलाशय की सामान्य क्षमता 999 लाख घन मीटर (81,000 एकड़ft) होगी, जिसमें यह 14 वर्ग किमी (5.5 वर्ग मील) क्षेत्र को कवर करेगा।

जलाशय में ओबरा, जुर्रा, पनारी, बरबन और कुम्भिया गांवों की केवल कुछ झोपड़ियाँ ही डूबेंगी। खोई हुई संपत्ति का मुआवजा दिया जाएगा और विस्थापितों का पुनर्वास किया जाएगा।

योजना और प्रगति

इस परियोजना के तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा होने की उम्मीद है। यह जरूरी है कि संपूर्ण मिट्टी और रॉकफिल बांध अक्टूबर 1963 से जून 1964 तक, एक कार्य सत्र में पूरा किया जाना चाहिए।

प्रारंभिक डिजाइन, ड्राइंग और निविदा दस्तावेज तैयार हैं और बांध के निर्माण के लिए जल्द ही विश्वव्यापी निविदा जारी की जाएगी। पावर हाउस और उससे जुड़े कार्य संपर्क मार्ग और कॉलोनी का निर्माण शुरू कर दिया गया है। निर्माण सामग्री और उपकरणों की खरीद की व्यवस्था चल रही है।

ओबरा बांध विशेषताएं एक नज़र में		
स्थान	..	उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जिले के ओबरा गांव के पास रिहंद नदी पर रिहंद बांध से 32 किमी (20 मील) नीचे की ओर।
जलग्रहण क्षेत्र:	..	
ओबरा में रिहंद नदी का जलग्रहण क्षेत्र		13,8000 वर्ग किमी (5,359 वर्ग मील)
रिहंद बांध और ओबरा के बीच		546 वर्ग किमी (211 वर्ग मील)
बांध :		
प्रकार	..	कंक्रीट स्पिलवे के साथ मृदा और रॉकफिल
लंबाई		
मुख्य बांध	..	422 मी (1,386फीट)
उत्प्लाव मार्ग	..	159 मी (520फीट)
बंध	..	185 मी (608फीट)
नदी तल से ऊंचाई	..	29 मी (95.5फीट)
अधिशेष कार्य	..	11 मीटर (37 फीट) ऊंचे और 12 मीटर (40 फीट) चौड़े ग्यारह खण्ड टेंटर गेट्स से सुसज्जित हैं
जलाशय :		
क्षमता	..	1,369 लाख घन मीटर (1,11,000 एकड़ फीट)
Waterspread/ जलप्रसरण	..	14 वर्ग किमी (5.5 वर्ग मील)
पावर स्टेशन:		
संस्थापित क्षमता	..	33,000 किलोवाट की तीन इकाइयाँ
टर्बाइन	..	46,500 एचपी की तीन संख्याएँ
लागत	..	रु. 11.22 करोड़
लाभ	..	मत्स्य पालन, उद्योग और मनोरंजन जगत के लिए निरंतर 33,000 किलोवाट बिजली उत्पादन।

बिजली की लागत

परियोजना की लागत 11.22 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। स्टेशन पर 2.86 nP/kWh पर बिजली पैदा की जाएगी। निर्माण के दौरान ब्याज शुल्क सहित पूंजी परिव्यय पर रिटर्न 5.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है जिसे बहुत लाभदायक माना जाता है।

लाभ

इस परियोजना से 33,000 किलोवाट निरंतर बिजली और रिहंद स्टेशन के साथ मिलकर 100,000 किलोवाट बिजली की अधिकतम आपूर्ति होगी।

परोक्ष रूप से, मछली उत्पादन, छोटे और बड़े पैमाने के उद्योग, जैसे चीनी मिट्टी के बरतन, अग्नि-मिट्टी, सीमेंट और कागज उद्योग के परिणामस्वरूप रोजगार और लोगों की आय में वृद्धि ओबरा का फल होगी।

(स्रोत: भागीरथ खंड-आठ जून 1962)

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- डॉ. बी.आर.के. पिल्ले, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री सुनिल कुमार -II, निदेशक (डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in